

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण  
NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY

साइकिल अग्रिम स्वीकृत कराने हेतु आवेदन-पत्र  
APPLICATION FORM FOR THE GRANT OF CYCLE ADVANCE

- 1 सरकारी कर्मचारी का नाम :  
Name of the Govt. Servant \_\_\_\_\_
- 2 पदनाम तथा जिस अनुभाग में कार्यरत है उसका नाम :  
Designation & Section which attached \_\_\_\_\_
- 3 स्थायी या अस्थायी :  
Whether Permanent or Temporary \_\_\_\_\_
- 4 वर्तमान वेतन :  
Present Pay \_\_\_\_\_
- 5 अपेक्षित अग्रिम की राशि (शब्दों और अंको दोनों में) :  
Amount of advance required (both in words & figures) \_\_\_\_\_
- 6 राशि चुकाने के लिए दी जाने वाली किश्तों की संख्या :  
No. of installments in which the amount will be repaid \_\_\_\_\_  
  
प्रत्येक किश्त की राशि :  
Amount of each instalment \_\_\_\_\_
- 7 (i) प्रतिभू का नाम (यदि आवेदनकर्ता ने इस कार्यालय में तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं) :  
Name of the surety (if applicant is a temporary Govt. servant) \_\_\_\_\_  
  
(ii) प्रतिभू का पदनाम तथा जहां वह सेवारत है उस कार्यालय का नाम :  
Designation of surety & name of Govt. office in which he is employed \_\_\_\_\_
- 8 क्या पिछले तीन वर्षों में साइकिल खरीदने के लिए किसी अग्रिम को मंजूर किया है यदि हाँ :  
Was any advance for the purchase of bicycle sanctioned during the last three years, if so \_\_\_\_\_  
  
(i) अग्रिम की राशि और मंजूरी की तिथि :  
The amount of the advance and date of sanction \_\_\_\_\_  
  
(ii) वसूली पूरी होने का महीना एवं साल :  
The month & year in which recoveries were completed \_\_\_\_\_
- 9 यदि उपर्युक्त का उत्तर हां में है तो पहले के तीन वर्षों में ही अग्रिम की स्वीकृति के लिए इस स्तंभ के सामने पूर्ण स्पष्टीकरण दें :  
In case answers to the above being in affirmative full justification for the grant of a second advance within three years of the first should be furnished against this column \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

10 (i) मैं रा.ज.वि.अ. में अस्थायी रूप में कार्यरत हूँ। अतः मैं नियमानुसार स्थाई कर्मचारी द्वारा भरा जमानत बंध-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। :  
As I am a temporary employee of NWDA, I am furnishing a surety from a permanent employee as required under the rules \_\_\_\_\_

(ii) मैंने रा.ज.वि.अ. में अपनी सेवा के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और \_\_\_\_\_ अग्रिम के रूप में \_\_\_\_\_ (रूपये) राशि की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। यदि मैं रा.ज.वि.अ. की सेवा छोड़ता/छोड़ती हूँ तो मुझको स्वीकृत \_\_\_\_\_ अग्रिम के रूप में मंजूर राशि रूपये में से कोई बकाया राशि हो तो वचनबद्ध हूँ कि उसकी वसूली मुझे देय राशि/ अं0भ0नि0 लेखे में से कर ली जाए।

I have completed three years of service in NWDA and applied for sanction of an amount of Rs. \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ advance. In the event to my leaving NWDA service, I undertake that the balance amount, if any, outstanding out of the sum of Rs. \_\_\_\_\_ sanctioned to me as advance in \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_\_ may be recovered from my dues/CPF account.

11 उपर्युक्त तथ्य मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।  
The above facts are correct according to my knowledge and belief.

(जो लागू न हो उसे काट दे)  
(Strike off which is not applicable)

दिनांक : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_

आवेदन के हस्ताक्षर  
Signature of the applicant  
(नाम, पदनाम तथा पता)  
(Name, Designation & Address)

अनुभाग अधिकारी की सिफारिश  
Recommendation of the section officer

“प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के पास साईकिल होना जनहित में है।”

“Certified that Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ should possess cycle in public interest.”